

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

7/12/25

कार्यालय आदेश

का०आ०सं० :- 2/अ0प्र0-1-80/2025 584

/पटना, दिनांक :- 22.10.25

श्री शुभम कुमार, संवेदक, शान्ति निकेतन हाता, जिला-पूर्णियाँ द्वारा कार्य प्रमंडल, मनिहारी के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत T05 अमदावाद से चौकिया पहाड़पुर भाया भरत टोला में चेनेज 5975 पर पुल निर्माण (पैकेज सं0-BR16P3R120) के क्रम में विपत्र बनाने के एवज में श्री नागेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता एवं श्री प्रेम प्रभात प्रेमी, कनीय अभियंता के विरुद्ध रिश्वत की मांग किये जाने का आरोप लगाते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। श्री शुभम कुमार, संवेदक द्वारा विभाग को दिनांक 15.07.2025 को शपथ पत्र भी उपलब्ध कराया गया है।

2. अतः श्री शुभम कुमार, संवेदक, शान्ति निकेतन हाता, जिला-पूर्णियाँ द्वारा समर्पित परिवाद पत्र एवं शपथ पत्र के आलोक में जाँच हेतु विभाग स्तर से निम्न जाँच समिति गठित किया जाता है-

- (i) श्री गोपाल कृष्ण ठाकुर, अधीक्षण अभियंता,
जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण अंचल, पटना — अध्यक्ष
- (ii) श्री सुकेश कुमार, कार्यपालक अभियंता,
जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, पूर्णियाँ — सदस्य
- (iii) श्री संतोष कुमार चौबे, सहायक अभियंता,
जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, गया — सदस्य
- (iv) श्री गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु, सहायक अभियंता
जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, किशनगंज-1 — सदस्य

3. उक्त जाँच समिति पन्द्रह दिनों के अंदर मामले की विस्तृत जाँच कर जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में विभाग को समर्पित करेंगे।

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-1-80/2025

/पटना/दिनांक :-

प्रतिलिपि :-परिवाद पत्र की प्रति एवं शपथ पत्र के साथ श्री गोपाल कृष्ण ठाकुर, अधीक्षण अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण अंचल, पटना / श्री सुकेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, पूर्णियाँ / श्री संतोष कुमार चौबे, सहायक अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, गया / श्री गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु, सहायक अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, किशनगंज-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु० :-यथोक्त।

अवर सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-1-80/2025 ~~11051~~ /पटना/दिनांक :- 22.10.23
प्रतिलिपि :- विभागीय आई०टी० मैनेजर को संबंधितों को उनके ई-मेल
आई0डी0 पर भेजे जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव